पंचायती राज चुनाव 2021: एक अध्ययन (ग्राम पंचायत–सालाबाद घुमैड़ा जिला–बुलन्दशहर)

डॉ० ललिता
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बी०बी० नगर, बुलन्दशहर
ईमेलः drlalitasaroha@gmail.com@gmail.com

सारांश

भारत जैसे बड़ी आबादी व विभिन्नता वाले विशाल देश में लोकतंत्र को सार्थक एवं कल्याणकारी बनाने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्यता है। लोकतंत्र में सत्ता का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की और होना ही चाहिए। लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन तक लेकर पहुँचता है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यों में रूचि बनी रहती है इसका उदाहरण है कि ज्यादातर गांवों में पंचायत चुनाव में लगभग शत/प्रतिशत मतदान होता है। लोकतंत्र कि संकल्पना अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। वर्ष 1992 में किये गए 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। आज के समय में ये संस्थाएं ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण केंद्रबिंदु बन गयी हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से गांव में विकास के विभिन्न कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मनरेगा, राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि आदि योजनाएँ चलाकर राहत दी जा रही है तथा ग्राम विकास के अन्य कार्य जैसे नाली बनवाना, गलियों में खड़ंजे लगवाना, तालाबों की मरम्मत, पेय जल आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण आदि कार्य करके ग्राम विकास किया जा रहा है।

लोग स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान भी स्थानीय पद्धति से कर सकें, इस प्रकारं पंचायती राज स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों का संपादन करने में सहायक होता है। इस अर्थ में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदारी के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शासन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। यह भी देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त ये स्थानीय जन प्रतिनिधि कालांतर में विधानसभा एवं संसद में प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं।

मुल बिन्दु

लोक तांत्रिक विकेन्द्रीकरण, राजनीतिक व्यवस्थाए राजनितिक विकास, जनमत, राजनीतिक जागरूकता, जन सहभागिता।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 16.08.2022
Approved: 17.09.2022

डॉ० ललिता

पंचायती राज चुनाव 2021: एक अध्ययन (ग्राम पंचायत–सालाबाद घुमैड़ा जिला–बुलन्दशहर)

RJPP Apr.22-Sept.22, Vol. XX, No. II,

pp.293-303
Article No. 38

Online available at : https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-2

भूमिका

भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकसित हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र में जन–जन की शासन की गतिविधियों में सहभागिता को विकसित करने का साघन है – पंचायती राज पंचायत व्यवस्था का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। आदिम समाज ने जब से सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू किया था सम्भवतः तब से ही पंचायत व्यवस्था शुंरू हुई।[1]

वस्तुतः भारतीय लोकतन्त्र इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन कार्यो में हाथ बंटाये और राज करने की जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं करे। विशाल भारत देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ विकेन्द्रकरण की पक्षधर रही है। जो क्षेत्रीय एवं आंचलिक विकास की भावना से ओतप्रोत कही जा सकती है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास पंचायती राज से ही सम्भव है।[2]

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की समूची चिन्तन धारा ग्रामोन्मुखी थी। उन्होंने सर्वोदय एवं भूदान आन्दोलन में भी सदैव सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया। भारत में पंचायती राज को सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गाँधी के दर्शन पर आधारित है। गाँधी जी के शब्दों में ''सच्चा लोकतन्त्र केन्द्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं होता अपितु यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्ररेणा से पंचायती राज के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान के नीति–निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय 4 के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिये राज्य उचित कदम उठायेगा और उन्हे ऐसे अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करेगा जिससे कि वे स्वशासन के स्थानीय निकाय के रूप में कार्य कर सकें।[3]

केन्द्रीय सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज की व्यवस्था अपनायी गई। तत्कालीन प्रद्दानमंत्री पंजवाहरलाल नेहरू ने स्वयं राजस्थान जाकर इसका उद्घाटन किया। इसके पश्चात् उसी वर्ष आन्ध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु ने इसे अपनाया। असम, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश ने 1960–61 में पंचायती राज की स्थापना की तथा 1963 तक अद्दिकांश राज्यों में बलवन्त राय मेहता द्वारा प्रस्तुत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था विभिन्न ढंग एवं नामों से लागू हुई।4 गाँधी जी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ग्रामीण स्वराज्य की जिस धारणा का बीजारोपण किया उसका प्रस्फुटन लम्बे समय बाद हुआ। पं0 जवाहर लाल नेहरू के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के भीतर ही पंचायती राज को रखा गया।[5]

पंचायती राज की स्थापना हेतु समय–समय पर विभिन्न अध्ययन दलों व समितियों का गठन किया गया। इनमें बलवन्त राय समिति–1957, अशोक मेहता समिति–1977, जी0 वि0 के0 राव समिति–1985 एल0 एम0सिंघवी समिति–1986 आदि प्रमुख हैं। जिनमें सुझााव व अनुशंसाओं के आधार पर विभिन्न, राज्यों में अपने–अपने अधिनियम पारित किये।[6] इस दिशा में सोच की पृष्ठभूमि में अशोक मेहता समिति रिपोर्ट 1978 का भारी महत्व है। पंचायती राज को सबसे बड़ा सहारा व प्रोत्साहन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गॉधी से मिला। 15 मई 1989 को लोकसभा में संविधान का 64वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में बहुमत प्राप्त न होने के कारण 13 अक्टूबर 1989 को इसे अस्वीकार कर दिया गया।[7] 64वें

सविधान संशोधन विधेयक को ही संशोधित कर 73वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा व अगले दिन राज्य सभा से पारित किया गया जिसमें अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत नवें भाग के रूप में जोड़ा गया।[8] एक नयी 11वी सूची जोड़ी गयी है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिये स्थानीय महत्व के 29 विशय रखे गये हैं। इस प्रकार 73वें संविधान द्वारा संवैधानिक दर्जा दिये जाने से पंचायती राज का अस्तित्व सुरक्षित हो गया। 73वें सविंधान संशोधन द्वारा पंचायतो को न केवल प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए बल्कि वित्तीय संशोधनों की गारण्टी भी प्राप्त हुई।[9]

साहित्य समीक्षा

उदयभान सिह एंव लवली मौर्या 'पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता एवं जागरूकता'

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 17 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2015 में पंचायती राज संस्थाओंके इतिहास के बारे में बताया गया हैा यह एक अनुभवाश्रित शोधपत्र है. जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता एवं जागरूकता' के बारे में शोध किया हैा

विनोद व्यासुलु ने अपनी कृति 'पंचायतें लोकतंत्र और विकास' 1992 में भारतीय संसद ने 73वें संवैधानिक संशोधन के बारे में लिखा है। जिसमे राज्य सरकारों के लिए स्थानीय निकायों को अधिकार देना अनिवार्य कर दिया गया। एक दशक से भी अधिक समय बाद बजट और नीति अध्ययन केंद्र बंगलौर के निर्देशक विनोद व्यासुलु जो पंचायती राज संस्थानों के लम्बे समय से पर्यवेक्षक भी थे। उन्होंने इस पुस्तक में कर्णाटक में पंचायती राज की समीक्षा की है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया है।

डॉ0 एस0एन0 जैन की पुस्तक 'भारतीय शासन एवं राजनीति' में 64वें संविधान संशोधन विधेयक से लेकर 73वें संविधान संशोधन तक की प्रक्रिया उसमे मजबूत और लोकप्रिय पंचायती राज संस्थाओं की नीव के प्रावधान तथा पंचायती राज अवधारणा का मूल्यांकन भी किया है।

सब्बल पटेल पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर केन्द्रीय सरकार के प्रयासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 22 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2020 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के बारे में बताया गया हैा यह एक अनुभवाश्रित शोधपत्र है. जिसमें पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर केन्द्रीय सरकार के प्रयासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन के बारे में शोध किया है।

डॉ0 श्रीनाथ शर्मा एवं **डॉ0 मनोज कुमार सिंह** द्वारा सम्पादित पुस्तक 'पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास' में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा एवं भारत में पंचायती राज का विकास, महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण, सत्ता का विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज की सार्थकता, ग्रामीण विकास एवं गाँधी दर्शन, पंचायती राज औचित्य, समस्याएं एवं समाधान आदि आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा वाले शोध पत्रों का संकलन किया है।

चंद्र प्रकाश भांभरी ने अपनी पुस्तक 'भारत में लोकतंत्र' जिसका हिंदी में अनुवाद अशोक मनोरम ने किया है, में लोकतंत्र की परिभाषा भारत के सन्दर्भ में लोकतंत्र, एवं राजनीतिक दल, नए सन्दर्भ में लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र अदि शीर्षकों के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना करते हुए स्वतंत्रता व समानता को प्राप्त करने में भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार कार्य कर रहा है, इसका वर्णन किया है।

पी0 पी0 गौर और आर0 के0 मराठा द्वारा सम्पादित पुस्तक 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास' में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा एवं भारत में पंचायती राज का विकास, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्थाओं के यथार्थ का अध्ययन, प्रशासनिक समस्याएं तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं में पंचायती राज के योगदान का विस्तृत अध्ययन किया गया है विभिन्न लेखकों ने अपने अपने शोध पत्रों में पंचायती राज के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है।

शोध के उद्देश्य

1. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण राजनितिक विकास को प्रभावित करने वाले सकारात्मक व नकारात्मक कारको का अध्ययन करना।
2. पंचायत चुनावों में जनमत निर्माण की प्रक्रिया को समझना एवं जनसहभागिता को बढ़ाने का प्रयास करना।
3. ग्राम पंचायत सालाबाद घुमैड़ा में राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता का विश्लेषण करना।
4. पंचायत चुनाव में मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

पंचायत चुनाव से सम्बंधित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध में ग्राम पंचायत सालाबाद धुमेड़ा से 100 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कार्यस्थल पर जाकर साक्षात्कार–अनुसूची प्राविधि के माध्यम से किया गया। अपने अध्ययन समूह अर्थात उत्तरदाताओं में हमने सभी आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। क्योंकि 18–45 वर्ष के आयु वर्ग में महिलाऐं परम्पारिक ग्रामीण समाज में राजनिति के विषय में क्रम रूचि एवं जानकारी रखती हैं तथा प्रश्नो के उत्तर देने से कई बार मना कर देतीं हैं। 46–70 वर्ष समूह में महिलाओं की राजनीतिक जानकारी में रूचि बढ़ जाती है। इसलिये चयनित उत्तरदाताओं में 60 पुरुष और 40 महिलाएं सम्मिलित है। द्वितीयक स्रोतों में विषय से सम्बंधित शासकीय वेबसाइट, भारतीय संविधान, अधिनियम, समाचार पत्रों, शोध अध्ययन आदि से तथ्यों का संकलन किया गया। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण सारणीयन किया गया उसके पश्चात तथ्यों का विश्लेषण कर प्रस्तुतीकरण करने का प्रयास किया गया।

ग्राम पंचायत सालाबाद घुमैड़ा

बी0बी0 नगर ब्लॉक के 34 ग्राम पंचायतों में से एक सालाबाद घुमैड़ा को हमने अध्ययन के लिये चुना। यह स्याना तहसील एवं मेरठ डिविजन के अन्तर्गत आता है। सालाबाद घुमैड़ा बुलन्दशहर जिले से 36 कि0मी0 उत्तर में भवन बहादुर नगर से 3 किमी0 तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 418 कि0मी0 दूर स्थित है। गाँव की स्थानीय भाषा हिन्दी है।[10] 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2263 है जिसमें महिलाओं की संख्या 1071 अर्थात 47.3% है तथा पुरूषों की संख्या 1192 जो कि 52.71% है। गांव की कुल साक्षरता 69.4% अर्थात 1570 लोग शिक्षित है। जिनमें महिलाओं की साक्षरता 27.9% यानि 631 महिलाए शिक्षित है। तथा

पुरूषों में साक्षरता 72.1% अर्थात 939 पुरूष शिक्षित हैं गांव में 413 परिवार रहते हैं।[11] गॉव में 13 वार्ड है। जिनमें से 05 वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। सालाबाद धुमैडा गॉव में से प्रधान पद के उम्मीदवार उदयभान, रकमसिंह संजय मोहन एवं टिंकुमोहन थे। गॉव में 2173 मतदाता पंजीकृत हैं। पंचायत चुनाव 2021 के चौथे व अन्तिम चरण 29 अप्रैल को यहॉ मतदान हुआ। जिसमें 1585 अर्थात 72.94% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया गांव के स्कूल में तीन बूथ लगाये गये थे। गॉव में प्रधान का पद अनारक्षित था। जिसमें रकम सिंह 619 मत पाकर, विजयी रहे। इस गॉव में केवल 03 ही पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ बाकी 10 पंचायत सदस्यों का चुनाव बाद में कराया जायेगा।[12]

प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण

तालिका संख्या – 1

उत्तरदावाओं की आयु का विवरण

आयु वर्ग	पुरूष	प्रतिशत	महिलाऐं	प्रतिशत
18 – 30 वर्ष	19	19	12	12
31 – 45 वर्ष	23	23	12	12
46 – 70 वर्ष	18	18	16	16
योग	**60**	**60**	**40**	**40**

तालिका सं0 1 में उत्तरदाताओं की आयु का अध्ययन करने पर हम जान पाते हैं कि 18–30 वर्ष के आयु समूह में 19 पुरूष एवयं 12 महिलाऐं हैं, जो युवा वर्ग को प्रदर्शित करते है। 31–45 वर्ष के आयु समूह में 23 पुरूष एवं 12 महिलाऐं है, जो मध्यम आयु वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। 46–70 वर्ष के आयु समूह में 18 पुरूष एवं 16 महिलाऐं है जो व़व़द्ध आयु वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। अपने अध्ययन समूह अर्थात उत्तरदाताओं में हमने सभी आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है।

तालिका संख्या – 2

उत्तरदाताओं का शैक्षिणिक स्तर

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक	**8**	**8**
माध्यमिक	**10**	**10**
10वीं	**16**	**16**
12वीं	**36**	**36**
स्नातक	**30**	**30**
योग	**100**	**100**

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से पता चलता है कि 8% लोग प्राथमिक, 10% लोग माध्यमिक 16% लोग 10 वीं, 36% लोग 12वीं तथा 30% लोग उच्च शिक्षित हैं। सभी उत्तरदाताओं का शिक्षित होना पंचायती राज व्यवस्था के लिये शुभ लक्षण है।

तालिका संख्या– 3

उत्तरदाताओं का लैंगिंक विवरण

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
पुरूष	60	60
महिलाऐं	40	40
योग	100	100

तालिका सं0 3 का अध्ययन करने से पता चलता है कि उत्तर दाताओं में पुरूष उत्तरदाता 60% तथा महिला उत्तरदाता 40% हैं।

उत्तरदाताओं में अधिकांशतः कृषि को मुख्य पेशे में अपनाने वाले या कृषि व अन्य प्रकार की मजदूरी करने वाले लोग हैं।

तालिका संख्या–4

प्र0–1 क्या आप पंचायती राज के बारे में जानते हैं?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	73	73
नहीं	27	27
योग	100	100

तालिका संख्या–4 का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 73% उत्तरदाता पंचायती राज के बारे में जानते हैं जबकि 27% मतदाता अनभिज्ञता प्रकट करते हैं। इन अभिज्ञ मतदाताओं का कोई भी प्रत्याशी अपनी तरफ प्रलोभ देकर मोड़ सकता है।

तालिका सं0–5

प्र0–2 उत्तर प्रदेश में पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
एक	10	13.70
दो	13	17.81
तीन	50	68.49
योग	73	100

तलिका संख्या–5 का अध्ययन करने पर हम कह सकते हैं कि 68.49% उत्तरदाताओं को पंचायत के तीनों स्तरों की जानकारी है और 35.51% उत्तरदाताओं ने गलत जवाब दिया है अर्थात उन्हें पंचायती राज के स्तरों की जानकारी नही हैं अर्थात वे पूर्ण जागरूक मतदाता नही हैं।

तालिका सं0 6

प्र0–3 क्या आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	90	90
नही	10	10
योग	100	100

तलिका सं0 6 से अध्ययन करने पर कहा जा सकता है कि ग्राम निवासी अर्थात उत्तरदाताओं में से 90% लोग पंचायत के कार्यों के विषय में जानकारी रखते हैं केवल 10% उत्तरदाता ही पंचायत के कार्यों की जानकारी नहीं रखते। गांव में पंचायत के कार्यों की जानकारी का स्तर बहुत अच्छा है।

तालिका सं0–7

प्र0–4 क्या आप सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के बारे में जानते है?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	25	25
नही	75	75
योग	100	100

तलिका सं0 7 के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं में से केवल 25 प्रतिशत लोग ही सामाजिक अकेक्षण के बारे में जानते हैं जिनका जानकारी का स्तर उच्च माना जा सकता है या वे किसी न किसी तरह ग्राम प्रधान से सम्बन्धित है उत्तरदाताओं के 75% लोग सामाजिक अंकेक्षण के बारे में नही जानते अर्थात पंचायत के सामान्य से कार्यों की जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती है।

तालिका सं0 8

प्र0–5 क्या आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे हटाया जा सकता है?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
ग्राम पंचायत सदस्यों के साधारत मत से	27	27
ग्राम पंचायत सदस्यों के 2/3 बहुमत से	43	43
पंचायती राज मंत्रालयके निर्देश पर	05	05
पता नही	25	25
योग	**100**	**100**

तालिका सं0 –8 के अनुसार 27% उत्तरदाता ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत सदस्यों के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता हैं 43% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्यों के

दो–तिहाई बहुमत से ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। 15 प्रतिशत मतदाता कहते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय निर्देश पर हटाया जा सकता है तथा 25 प्रतिशत उत्तरदाता अनभिज्ञता जाहिर करते है इस विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि केवल 43% मतदाता ही सही जानकारी रखते हैं जबकि 57% मतदाता में से या तो गलत जानकारी रखते हैं या जानकारी ही नही रखते।

तालिका सं0 09

प्र0–9 पंचायत चुनाव में आप किस आधार पर मतदान करते है?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
सोशल मीडिया से प्रभावित होकर	05	05
किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर	05	05
धर्म से प्रभावित होकर	25	25
जाति से प्रभावित होकर	25	25
प्रत्याशी से प्रभावित होकर	40	40
योग	**100**	**100**

तालिका सं0 09 के अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों में 5% उत्तरदाता सोशल मीडिया से, 5% मतदाता किसी भी राजनीतिक दल से, 25% मतदाता धर्म से, 25% मतदाता जाति से तथा सबसे अधिक यानि 40% मतदाता प्रत्याशी से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि मतदान जाति–धर्म से खूब प्रभावित होने के साथ साथ प्रत्याशी से भी प्रभावित होकर लोग मतदान करते है जो कि लोकतंत्र के विकास का एक लक्षण है।

तालिका सं0–10

प्र0–10 उत्तर पद्रेश में पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हैं?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
33%	67	67
50%	15	15
पता नही	18	18
योग	**100**	**100**

तालिका सं0 10 के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 67 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण की जानकारी रखते हैं 15 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं का आरक्षण है इसकी जानकारी तो रखते हैं लेकिन सही प्रतिशत नही जानते। जबकि 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पता नही विकल्प को चुना है अर्थात इस विषय पर अनभिज्ञता प्रकट की है।

तालिका सं0 11

प्र0–11 क्या आप समझते हैं महिलाएं ग्राम प्रधान चुने जाने पर सही प्रकार काम कर पाती हैं?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	55	55
नही	45	45
योग	**100**	**100**

तालिका सं0–11 का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 55% उत्तरदाता समझते हैं कि महिला ग्राम प्रधान भी सही प्रकार काम करती है परन्तु 45% उत्तरदाता आज भी कहते हैं कि महिला ग्राम प्रधान सही प्रकार से काम नही कर पाती हैं? लेकिन इसमे कोई सन्देह नही कि ग्राम पंचायत से चुने जाने से महिला सशक्तिकरण हुआ है।

तालिका सं0 12

प्र0–12 क्या पंचायत का गठन होने के बाद गाँव का विकास हो रहा है?

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	90	90
नही	10	10
योग	**100**	**100**

तालिका सं0 12 का अध्ययन करने पर पता चलता है कि पंचायती राज के प्रथम स्तर ग्राम पंचायत के गठन से 90% उत्तरदाता मानते है कि गाँव का विकास हुआ है। केवल 10% उत्तरदाता ही मानते हैं, कि अपेक्षित विकास नही हुआ। ग्राम पंचायतों के गठन से लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होकर ग्रामीणों तक पहुचा है जिससे गाँवों का विकास हुआ है।

तालिका सं0 13

प्र0–13 क्या पंचायत चुनाव के समय गाँव का समाजिक व धर्मिक सौहार्द बिगड़ जाता है।

तालिका सं0 13 के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 68% उत्तरदाता गाँव के सामाजिक व धार्मिक सौहार्द बिगड़ जाने की बात स्वीकार करते हैं तथा 32% उत्तरदाता इस बात को स्वीकार नहीं करते लेकिन चुनावी हिंसा की घटनाऐं चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव हो जाने के बाद काफी समय पश्चात भी लगातार होती रहती है।

विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	68	68
नही	32	32
योग	**100**	**100**

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि 73% उत्तरदाता पंचायती राज के विषय में जानते हैं। 68.49% उत्तरदाताओं को पंचायत के तीनो स्तरों के बारे में जानते हैं। 43% उत्तर दाता प्रधान को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले के हटाने के विषय में जानते हैं। 67% उत्तरदाता पंचायती राज में महिला आरक्षण की जानकारी भी रखते हैं। मतदाता अपने पिता या घर के बुजुर्ग के कहने पर ही मतदान करते हैं यह दर्शाता है कि समाज में परम्परागत ढ़ांचा ही प्रचलन में है आधुनिक समय में भी मतदाता धर्म एवं जाति से प्रभावित होकर ही मतदान करते हैं। महिला ग्राम प्रधान को 40% लोग कहते हैं कि ठीक से काम नही कर पाती क्योंकि उसके पति का हस्तक्षेप ज्यादा रहता है। परम्परागत सामाजिक संरचना होने के कारण ज्यादातर महिलाऐं 46 वर्ष की आयु के ऊपर होने पर ही राजनीति की जानकारी प्राप्त करती है या उसमें सक्रिय भागीदारी कर पाती है। 68% उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती चुनाव के दौरान ग्रामीण सौहार्द बिगड़ जाता है। चुनाव हिंसा चुनाव परिणाम के बाद भी कई महीनों तक जारी रहती है। इस सबके बावजूद पंचायती राज में आम नागरिक के राजनीतिक सामाजीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता बढाने में योगदान दिया है। शिक्षित युवा वर्ग का रूझान भी राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, महिलाओं का पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण प्रदान किये जाने के परिणाम स्वंरूप सभी वर्गों की महिलाओं में नवीन उत्साह का संचार हुआ है समाज का एक उपेक्षित वर्ग निर्णयन प्रक्रिया में सहभागी बना है। 90% उत्तरदाताओं ने माना है कि पंचायती राज के माध्यम से गाँव का विकास हो रहा है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचायती राज के माध्यम से निसंदेह ग्रामो का विकास हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत आगे बढ़कर ग्रामोत्थान में योगदान की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण जनमानस को अभावों से मुक्त करके सुखी, समृद्ध और सक्षम बनाया जाना चाहिए, तभी गाँधी जी के ग्राम स्वराज्य कि कल्पना को यथार्थ धरातल पर प्रतिबिंबित किया जा सकेगा।

सुझाव

प्रस्तुत शोध एवं तथ्य संकलन के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर पंचायतों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:-

- निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय–समय पर उनके कार्यो एवं अधिकारों के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि महिलाएं भी ग्राम प्रधान चुने जाने पर अपने कार्यो को स्वयं ही सम्पादित कर सकें।
- ग्राम पंचायत सदस्यों के भी अधिकारों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो भी चुनावों में रूचि लें क्योंकि पंचायत चुनाव 2021 में जिला बुलंदशहर में पंचायत सदस्यों के इतने पद खाली रहे कि 39 ग्राम पंचायत प्रधानों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी। इन पदों को भरने के लिए उपचुनाव कराना पड़ा।
- पंचायती राज अधिनियम में प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि अशिक्षित व्यक्ति के ग्राम प्रधान बन जाने पर दूसरे लोग उसके अधिकारों का गलत उपयोग या लाभ न ले सकें।

- ग्राम पंचायत के कार्यों का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि ग्राम सभा के लोग कार्यों की निगरानी कर सकें।
- सोशल ऑडिट के बारे में भी ग्राम सभा को मालूम होना चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों में सही प्रकार ग्राम विकास के कार्यों को किया जाये एवं भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
- पंचायतों कि वित्तीय सुदृढ़ता के लिए स्थानीय स्रोतों को बढ़ाया जाए।
- ग्रामों में अधोसंरचनात्मक साधनों का विकास किया जाए।
- आपराधिक प्रवृति के लोगों को निर्वाचन से विरत रखने के लिए कठोर कानून बनाये जाएँ ताकि चुनावी हिंसा पर नियंत्रण पाया जा सके।

संदर्भ

1. सिह, उदयभान., मौर्या, लवली. (2015). 'पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता एवं जागरूकता' राधाकमल मुकर्जी. चिन्तन परम्परा वर्ष 17. अंक 2. जुलाई–दिसम्बर।
2. व्यासलु, विनोद. (2003). 'पंचायतें, लोकतंत्र और विकास' रावत प्रकाशनः जयपुर और नई दिल्ली. पृष्ठ **17.**
3. जैन, डा0 एस0एन0. (1997). 'भारतीय संविधान शासन और राजनीति'. हिन्दी ग्रन्थ अकादमीः जयपुर. पृष्ठ **218.**
4. पटेल, सब्बल. (2020). पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर केन्द्रीय सरकार के प्रयासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन राधाकमल मुकर्जी. चिन्तन परम्परा वर्ष 22. अंक 2. जुलाई–दिसम्बर।
5. शर्मा, डॉ0 श्रीनाथ., सिंह, मनोज कुमार. (2004). 'पंचायती राज व ग्रामीण विकास' अंर्जुन पब्लिशिंग हाउसः नई दिल्ली. पृष्ठ **15.**
6. दयाल, राजेश्वर. (1970). 'पंचायती राज इण्डिया मैट्रोपोलिटन'. नई दिल्ली. पृष्ठ **21.**
7. भांभरी, चन्द्रप्रकाश. (2013). अनुवादक अशोक मनोरम 'भारत में लोंकतत्र'. नेशनल बुकट्रस्टः इण्डिया. पृष्ठ **59.**
8. (1998). भारतीय संविधान. सेन्ट्रल पब्लिकेशन. पुनः मुद्रित. पृष्ठ **97,98,99.**
9. गौर, पी0पी0. (2004). 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास'. अर्जुन पब्लिशिंग हाउसः नई दिल्ली. पृष्ठ **7,8.**
10. ब्लॉक कार्यालयः बी0बी0 नगर, बुलन्दशहर।
11. https://villageinfo.in/uttarpradesh/bulandshahr/siana/salabad-dhamaira.html.
12. http://www.onefivenine.com/india/villages/bulandshahr/bhawan-bahadur-nagar/salabaddhamaira.